ज़ियारते
क़ुबूर
मअ आदाब व अहकाम
हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुहम्मद अब्दुल अज़ीज़ खाँ
www.jannatikaun.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ.

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से फ़रमाया मैंने तुमको क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था अब तुम को इजाज़त देता हूं तुम क़ब्रों की ज़ियारत करो क्योंकि वह दुनिया से बे रग़बत करती और आख़िरत को याद दिलाती है।

ज़ियारते क़ुबूर

मअ

आदाब व अहकाम

अज़ इफ़ाज़ात

कुदवतुल उलमा ज़ुब्दतुल फ़ुज़ला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़्ती शाह मुहम्मद अब्दुल अज़ीज़ खां फ़तहपुरी मद्दज़िल्लहुल आली

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۵

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन व अला आलिही व अस्हाबेही अजमईन!

1. हदीसः- हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं ने तुम को क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था। अब तुम क़ब्रो की ज़ियारत किया करो। क्यों कि ज़ियारते क़ुबूर दुनिया से बेरग़बत करने वाली और आख़िरत को याद दिलाने वाली है। (इब्ने माजा)

2.हदीसः- हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अपने माँ-बाप के क़ब्र की, दोनों या एक की, हर जुमा में ज़ियारत करेगा उस को बख़्श दिया जाएगा और उसको नेकोकार लिखा जाएगा। (बैहक़ी)

3. हदीसः- उम्मुल मोमेनीनी हज़रत आइशा सिद्दिक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि जब हुज़ूर पुरनूर के मेरे यहाँ रहने की रात होती तो हुज़ूर आख़िर शब में बक़ीअ को तशरीफ़ ले जाते और फ़रमाते -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَاتُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ وَاِنَّا اِنْشَاءَ

اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ط اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ (مُسْلِم)

अस्सलामु अलैकुम दा-र क़ौमिन् मोमेनीन व अता-कुम मातू-अदून ग़दन् मोअज्जलू-न व इन्ना इन्शा-अल्लाहु बिकुम लाहिक़ू-न० अल्लाहुम्मग़्-फ़िर-लि अहले बक़ी-इल्-ग़र्क़द०

(मुस्लिम)

4. हदीसः- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में क़ब्रों के पास से गुज़र हुआ तो उन की तरफ़ मुतवज्जह होकर, फ़रमाया -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूरि यग़फ़िरुल्लाहु लना व ल-कुम अन्तुम् सलफ़ुना व नह्नु बिल्-असरि०

तुम पर सलाम ऐ क़ब्र वालों अल्लाह तआला हमें और तुम्हें बख़्शे तुम हमारे पेशरौ हो और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। (तिर्मिज़ी)

5. हदीसः- बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तालीम फ़रमाया करते थे कि जब क़ब्रों के पास जायें तो यह कहें-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ (مُسلِم)

अस्सलामु अलैकुम अहलद्-दयारे मिनल-मुमिनी-न वल-मुस्लिमी-न व इन्ना इन्शा अल्लाहु बिकुम् लाहिक़ू-न नस्-अलुल्ला-ह ल-ना व ल-कुमुल्-आफ़ियह० (मुस्लिम)

6. हदीसः- अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स किसी ऐसे की क़ब्र पर गुज़रे जिसे वह दुनिया में पहचानता था और उस पर सलाम करे तो वह मुर्दा उसे

पहचानता, और उसके सलाम का जवाब देता है।

(अज़ ख़तीब)

7. हदीसः- उम्मुल मोमेनीन हज़रत आइशा सिद्दिक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है- मैं हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ए अतहर में दाख़िल होती तो अपने दिल में यह ख़्याल कर लेती कि मेरे यहां शौहर और मेरे वालिद है अपने ज़ायद कपड़े अलाहिदा कर देती। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां मदफ़ून हुए तो मैं उनसे शर्म की वजह से अपने को कपड़ों में छिपाये रहती। (अज़ इमाम अहमद)

8. हदीसः- अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया- مَنْ زَارَقَبْرِی وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِی

मन ज़ा-र क़ब्री व ज-ब-त लहू शफ़ाअती जिसने मेरी क़ब्रे मुबारक की ज़ियारत की, उस के लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। (खुलासतुल वफ़ा)

9. हदीसः-

مَنْ جَائَنِی زَائِرًا لَا تَعْمَدُهُ حَاجَةٌ اِلَّا زِيَارَتِی كَانَ حَقًّا عَلٰی اَنْ

اَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَا الْقِيَامَةِ

मन जा-अ-नी ज़ायरन् ला तअ़म-दुहु हाज-तुन इल्ला ज़िया-रती का-न हक़्क़न अलय्य अन् अकू-न लहू शफ़ीअन्

यौमल-क़ियामह०

जो मेरी ज़ियारत के लिए आया और बजुज़ मेरी ज़ियारत के और किसी हाजत का उसने क़स्द न किया। मुझ पर हक़ है कि मै रोज़े क़ियामत उसका शफ़ी बनूं। (खुलासतुल वफ़ा)

10. हदीस:-

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِی بَعْدَ وَفَاتِی کَانَ کَمَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی

मन हज्-ज फ़ज़ा-र क़ब्री बअ़-द वफ़ाती का-न कमन ज़ा-र-नी फ़ी हयाती०

जिसने हज करके मेरी वफ़ात के बाद मेरी क़ब्र की ज़ियारत की। वह ऐसा ही है जैसा वह कि जिसने मेरी हयात में ज़ियारत की।

11. हदीस:- مَنْ حَجَّ الْبَیْتَ وَلَمْ یَزُرْنِی فَقَدْ جَفَانِی

मन् हज्-जल् बै-त व लम् यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी०

जिसने काबा का हज किया और मेरी ज़ियारत को हाज़िर न हुआ उसने मुझ पर ज़ुल्म किया।

(खुलासतुल वफ़ा)

12. हदीस:- مَنْ زَارَنِی مُتَعَمِّدًا کَانَ فِی جِوَارِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ

मन् ज़ा-र-नी मु-त-अम्मिदन् का-न फ़ी जवारी यौमल् क़ियामति:०

जिसने क़स्द करके मेरी ज़ियारत की वह रोज़े क़ियामत मेरी हिफ़ाज़त में होगा। (बैहक़ी)

हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते है-

اِنِّیْ لَاتَبَرَّکُ بِاَبِیْ حَنِیْفَۃَ وَاَجِیْءُ اِلٰی قَبْرِہٖ فَاِذَا عَرَضَتْ لِیْ حَاجَۃٌ

صَلَّیْتُ رَکْعَتَیْنِ وَسَاَلْتُ اللّٰہَ تَعَالٰی عِنْدَ قَبْرِہٖ فَتُقْضٰی سَرِیْعًا

इन्नी लाअ-तबर्र-कु बि-अबी हनी-फ़-त: व अजीउ इला क़बरिही फ़इज़ा अ-र-ज़त् ली हा-ज-तुन् सल्लैतु रकअ़तैन व स-अल्तुल्ला-ह तआला इन्द क़बरिही फ़तुक़ज़ा सरीअन0

यानी मैं जब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ब्रे मुबारक पर हाज़िर होता हूं। और जब कोई हाजत पेश आती है तो दो रकअतें पढ़कर हज़रत इमाम की क़ब्र के पास दुआ करता हूं तो मुराद जल्द हासिल हो जाती है। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- ज़ियारते क़ुबूर मसनून व मुस्तहब है। हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शोहदाए उहद की ज़ियारत को तशरीफ़ ले जाते, और उनके के लिए दुआ फ़रमाते।

मसला:- ज़ियारत करने वाला अगर क़ब्र के पास बैठना चाहे तो इतने फ़ासले से बैठे कि अगर साहबे क़ब्र सामने होते, तो यह उनके पास नज़दीक या दूर किस तरह बैठता। इसी अबद व मर्तबा के मुवाफ़िक़ अमल करे।

मसला:- ज़ियारते क़ुबूर का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि पहले अपने मकान में दो रकअत नमाज़े नफ़िल पढ़े, हर रकअत में बाद सूरह फ़ातिहा आयतलकुर्सी एक बार और सूरह इख़लास यानी *क़ुल हुवल्लाह* तीन बार पढ़े। और उस नमाज़ का सवाब साहबे क़ब्र को पहुंचाये, अल्लाह तआला

साहबे क़ब्र की क़ब्र में नूर पैदा करेगा। और उसको सवाबे अज़ीम अता फ़रमाएगा। अब क़ब्र पर जाकर हाज़िर हो। लेकिन रास्ते में फ़ुज़ूल बातों में मशग़ूल न हो। जब वहां पहुंचे तो जूते उतार दे और क़ब्र के पायें से दाखिल होकर सामने इस तरह खड़ा हो कि क़िबला को पीठ हो। और साहबे क़ब्र के चेहरे की तरफ़ मुंह, और उसके बाद कहे-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

अस्सलामु अलैकुम अह-ल दारि क़ौमिन्-मोमिन-न अन्तुम ल-ना स-ल-फ़ुन व इन्ना इन्शा अल्लाहु बिकुम् लाहिक़ू-न नस्-अ-लुल्ला-ह ल-ना व ल-कुमुल्-अ़फ़ू-व वल्-आफ़ि-य-त:0

सलाम हो तुम पर ऐ क़ौमे मोमिनीन के घर वालो तुम हमारे अगले हो और हम इन्शाअल्लाह तुम से मिलने वाले है। अल्लाह से हम अपने और तुम्हारे लिए अफ़ू-व व आफ़ियत का सवाल करते है। या यह कहे-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

अस्स्लामु अलैकुम या अहलल् क़ुबूरि यग़फ़िरुल्लाहु ल-ना व ल-कुम अन्तुम ल-ना स-ल-फ़ुना व नहनु बिल-असरि0

तुम पर सलाम हो ऐ क़ब्र वालो। अल्लाह हमको और तुमको बख़्शे, तुम हमारे अगले हो और हम पीछे है, फिर सूरह फ़ातिहा "*अलिफ़ लाम-मीम्*" से "*मुफ़लिहून*" तक, आयतलकुर्सी "*आ-म-नर्रसूल*" से आख़िर तक, सूरह '*यासीन*', सूरह '*मुल्क*' सूरह '*ज़िलज़ाल*', सूरह '*तकासुर*' सूरह '*इख़लास*' बारह या ग्यारह या सात या तीन बार पढ़े और उन सब का सवाब साहबे क़ब्र को पहुंचाये। अगर ज़ायर को इतनी देर तक ठहर कर, मज़्कूरह बाला आयतों और सूरतों के पढ़ने की मुहलत नहीं है। तो सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा यानी *अल्हम्दु लिल्लाह* एक बार और सूरह इख़लास यानी *क़ुल हुवल्लाह* तीन बार पढ़ने पर इक्तेफ़ा करे।

मसला:- ज़ियारते क़ुबूर के लिए चार दिन बेहतर है। शम्बा, दो शम्बा, पंज शम्बा, जुमा। हर हफ़्ता में जुमा के दिन बाद नमाज़े जुमा जाना सबमें अफ़ज़ल है। सनीचर के दिन में सूरज निकलने से पहले, और जुमेरात को दिन के अव्वल वक़्त में और बाज़ उलमा के नज़्दीक पिछले वक़्त में भी जाना अफ़ज़ल है। रोज़े ईद, शबे बरात, शबे क़द्र, में जाना नीज़ मुस्तहब व बाइसे फ़ज़ीलत है।

मसला:- औलियाए किराम व बुज़ुर्गाने दीन व शोहदा व सुलहा के मज़ारों की ज़ियारत और उनके उर्सों की शिर्कत के लिए सफ़र करके जाना जायज़ व मुस्तहब है। उनकी बरकत से अल्लाह तआला हाजतें पूरी करता है। ज़ायरीन को बरकात हासिल होती है।

मसला:- औरतों को मज़ाराते औलियाए किराम व मक़ाबिरे

अवाम दोनों पर जाने की मुमानिअत है।

मसला:- बच्चा पैदा होते ही नहला-धुला कर मज़ाराते औलियाए किराम पर ले जाना बाइसे बरकत है।

मसला:- औलियाए किराम व बुज़ुर्गाने दीन व सालेहीन के मज़ारात पर गि़लाफ़ डालना जायज़ है, हां अवाम की क़ब्रों पर न चाहिए।

मसला:- क़ब्र पर फूल रखना बेहतर व मुस्तहब है कि फूल जब तक तर रहते हैं, अल्लाह तआला की तस्बीह करते हैं और साहबे क़ब्र को उन्स होता है।

मसला:- तर घास मक़ाबिर से न उखेड़ें कि उसकी तस्बीह से रहमत उतरती है और मय्यत का दिल बहलता है।

मसला:- औलियाए किराम के मज़ाराते तय्यबा के पास उनकी रूहे मुबारका की ताज़ीम के लिए चिराग़ जलाना मुस्तहसन है।

मसला:- चिराग़ और ऊद बत्ती वग़ैरह कोई चीज़ नफ़से क़ब्र पर रखकर जलाना मना है।

मसला:- ज़ायरीन के लिए या फ़ातिहा ख़्वानी के वक़्त ऊद व लोबान सुलगाना बेहतर है।

मसला:- बोसए क़ब्र में उलमा को इख़्तेलाफ़ है और अहवत मना है।

मसला:- क़ब्र पर चलना, खड़ा होना, पांव रखना, बैठना, लेटना, पेशाब करना, हराम व नाजाइज़ है।

मसला:- क़ब्रस्तान में जो नया रास्ता निकला हो उसमें चलना हराम है।

मसला:- क़ब्रस्तान में जूता पहन कर चलना मना है। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने एक साहब क़ब्रस्तान में जूता पहने निकले। फ़रमाया ऐ जूते वाले अपने जूते फेंक, न तू साहबे क़ब्र को सता, न वह तुझे सताये।

मयला:- जिस के रिश्तेदार की क़ब्र के इर्द-गिर्द और मुसलमानों की क़ब्रें हो गयीं कि उनकी क़ब्रों पर पांव रखे बग़ैर अपने रिश्तेदार की क़ब्र तक नही जा सकता। तो वहां तक जाने की इजाज़त नहीं, दूर ही से फ़ातिहा पढ़े।

मसला:- साहबे क़ब्र को सज्दा करना हराम और क़ब्र का तवाफ़ ममनूअ़ है।

मसला:- क़ब्र पर या क़ब्र को सामने लेकर नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है।

मसला:- औलियाए किराम व बुज़ुर्गाने दीन, मशायख़ व उलमा की क़ुबूर पर क़ुब्बा बनाना अमरे जायज़ है।

मसला:- नाचना, गाना, बाजा बजाना, यह सब काम हराम हैं, मज़ाराते तय्यबा के पास निहायत मज़मूम व क़बीह हैं।

मसला:- क़ब्र पर क़ुरआन मजीद पढ़ने के लिए हाफ़िज़ मुक़र्रर करना जायज़ है।

तम्बीह:- उजरत पर क़ुरआन मजीद पढ़ना या पढ़वाना हराम व नाजायज़ है। अगर उजरत पर पढ़वाना चाहे तो उसका तरीक़ा यह है कि हाफ़िज़ को उतने दिनों के लिए मुअय्यन दामों पर काम काज के लिए नौकर रख ले फिर

उससे कहे एक काम यह करो कि इतनी देर क़ब्र पर पढ़ आया करो, यह जायज़ है।

मसला:- क़ब्र में मय्यत के मुंह के सामने क़िबला की जानिब ताक़ खोद कर उसमें शजरा व अहद नामा रखना जायज़ है।

मसला:- मय्यत के कफ़न पर अहद नामा लिखना और उसके सीना व पेशानी पर नहलाने के बाद कफ़न पहनाने से पहले कलमा की उंगली से

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम*

लिखना जायज़ है, कि उससे मग़फ़िरत की उम्मीद है।

हिकायत:- एक बुज़ुर्ग ने अपने सीने व पेशानी पर

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम*

लिखने की वसीयत की थी। इन्तक़ाल के बाद लिख दी गई। फिर किसी ने उन्हें ख़्वाब में देखा तो हाल पूछा। कहा जब मैं क़ब्र में रखा गया, अज़ाब के फ़रिश्ते आये, उन्होंने जब पेशानी पर بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखी कहा तू अज़ाब से बच गया।

तम्बीह:- पेशानी पर بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सीने पर لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ یَافُلَانُ بِنْ فُلَانَہ. یَافُلَانُ بِنْ فُلَانَہ *लाइला-ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर-रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु* तआला अलैहि वसल्लम लिखना भी मुनासिब है, कलमे की उंगली से लिखें, रोशनाई से न लिखें।

मसला:- दफ़न के बाद मय्यत को तलक़ीन करना मशरूअ

है हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई मरे और उसकी मिट्टी दे चुको, तो तुम में एक शख़्स क़ब्र के सिराहने खड़ा होकर कहे- या फ़ुलाँ बिन फ़ुलाना वह सुनेगा और जवाब न देगा, फिर कहे- या फ़ुलानुब्नु फ़ुलां वह सीधा होकर बैठ जाएगा, फिर कहे या फ़ुलानुब्नु फ़ुलां वह कहेगा हमें इरशाद कर, अल्लाह तुझ पर रहम फ़रमाये। मगर तुम्हें उसके कहने की ख़बर नहीं होती, फिर कहे-

اُذْكُرْ مَاخَرَجْتَ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّاوَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَبِيًّا وَّبِا لْقُرْاٰنِ اِمَامًا

*उज़्कुर मा ख़रज्-त मिनद्-दुनिया शहा-द-त अन्-ला इला-ह इल्लल्लाहु व अन्-न मुहम्मदन् अब्दुहू व रसूलुहू सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व इन-न-क रज़ी-त बिल्लाहि रब्बंव व बिल-इस्लामि दीनंव् व बिमुहम्मदिन् सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबीयंव् व बिल-क़ुरआनि इमामा*O तू उसे याद कर जिस पर तू इस दुनिया से निकला, यानी यह गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बन्दे और रसूल है। और यह कि तू अल्लाह के रब और इस्लाम के दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और क़ुरआन के इमाम होने पर राज़ी था, नकीरैन एक दूसरे का हाथ पकड़

कर कहेंगे चलो हम इसके पास क्या बैठें, जिसे लोग उसकी हुज्जत सिखा चुके। इस पर किसी ने हुज़ूर से अर्ज़ की अगर उसकी मां का नाम मालूम न हो फ़रमाया हव्वा की तरफ़ निस्बत करे, बाज़ अइम्मए दीन फ़रमाते हैं, जब क़ब्र पर मिट्टी बराबर कर चुकें और लोग वापस जायें तो मुस्तहब है कि मय्यत से उसकी क़ब्र के पास खड़े होकर यह कहा जाये-

قُلْ رَبِّیَ اللّٰهُ وَدِیْنِیَ الْاِسْلَامُ وَنَبِیِّیْ مُحَمَّدٌ صَلَّے اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمْ

क़ुल रब्बियल्लाहु व दीनीयल इस्लामु व नबीय्यी मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तू कह मेरा रब अल्लाह है और मेरा दीन इंस्लाम हैं और मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।

मसला:- बाद दफ़न मय्यत क़ब्र पर अज़ान देना जायज़ व मुस्तहब है।

मसला:- किसी जगह या किसी दरख़्त की यह समझ कर ज़ियारत करना और वहां फूल डालना, चिराग़ां करना कि फ़ुलां बुज़ुर्ग का चिल्ला है यानी यहां वह आया करते हैं यह जिहालत है।

मसला:- अगर किसी जगह किसी बुज़ुर्ग ने इबादत की हो तो वहां यह समझ कर इबादत करना कि यह जगह मुतबर्रक है जायज़ बल्कि मुस्तहब है।

मसला:- औलिया व मशायखे इज़ाम व बुज़ुर्गाने दीन के क़ुबूर पर, हर साल तारीखे वफ़ात पर बग़र्ज़े ज़ियारत जमा होना और उन्हें क़ुरआन ख़्वानी, कलमा तय्यबा, दुरूद शरीफ़

व सदकात का सवाब पहुंचाना, उनकी तरफ़ से फुक़रा व मसाकीन को ख़ैरात करना, खाना खिलाना, मीलाद शरीफ़ पढ़ना, वअज़ कहना मोजिबे बरकात व सवाब है, उनके विसाल के दिन का नाम उर्स है। जो हदीस *नम क-नव-मतिल उरूस* से मुस्तफ़ाद है। और उर्स की असल हदीस शरीफ़ से साबित है। कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शोहदाए उहद के क़ुबूर पर बग़र्ज़े ज़ियारत तशरीफ़ फ़रमा होते थे। और आपके बाद खुलफ़ाए अरबआ सैयदिना अबूबकर सिद्दीक़ व सैयदिना उमर फ़ारूक़ व सैयदिना उसमान ग़नी व सैयदिना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का भी यही अमल रहा। मशायखे इज़ाम के अक़वाल से साबित है कि बुज़ुर्गों के उर्स के दिन ज़ायरीन को जो फ़ुयूज़ व बरकात हासिल होते हैं वह ब-निस्बत दूसरे अय्याम के बहुत कुछ ज़ायद होते हैं।

मसला:- किसी के ईसाले सवाब के लिए जानवर पालना, और उसे फ़रबा करना फिर तारीखे फ़ातिहा पर उसको *बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर* कह कर ज़बह करना जायज़ है।

मसला:- हज़राते खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की तारीखहाए वफ़ात में उनके फ़ज़ायल व कमालात से अहले इस्लाम को आगाह करना जायज़ और बाइसे ख़ैर व बरकत है।

मसला:- अशरए मुहर्रम में पानी, शर्बत, चाय की सबील लगाना, शीर ब्रिंज, रोटी, खिचड़ा पकवा कर तक़सीम करना,

शहादत की मजलिस मुनअक़िद करना और सही वाक़िआते करबला बयान करना जायज़ है।

मसला:- रबीउल-आख़िर की ग्यारहवीं को हुज़ूर पुरनूर सैयदिना ग़ौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ातिहा और रजब की छट्ठी को हुज़ूर ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ातिहा देना या दिलाना जायज़ है।

मसला:- हज़राते असहाबे कहफ़ का तोशा, हुज़ूर ग़ौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का तोशा, हज़रत शैख़ अब्दुल हक़ क़ुद्देस सिर्रहुल अज़ीज़ का तोशा जायज़ है।

मसला:- रजब की बाईसवीं को हज़रत सैयदिना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ईसाले सवाब करने के लिए पूरियों के कूंडे भरना और फ़ातिहा दिला कर लोगों को खिलाना जायज़ है।

मसला:- ईद में सेवईयां और शबे बरात में हलवा पकाना और उस पर फ़ातिहा दिलाना जायज़ है कि यह उमूर मज़कूरा ईसाले सवाब में दाख़िल हैं।

मसला:- मय्यत पर अगर क़ज़ाए रमज़ान है और मरने से पहले उसने वसीयत भी की थी तो उसके माल की तिहाई से हर रोज़ा के एवज़ निस्फ़ साअ गेहूं या एक साअ जौ मिस्कीन को देना वारिस पर वाजिब है, यही हुक्म नमाज़ का है कि हर फ़र्ज़ व वित्रा के बदले निस्फ़ साअ गेहूं या एक साअ जौ सदक़ा करे।

मसला:- मय्यत ने अगर माल छोड़ा लेकिन मरने से पहले वसीयत नहीं की या माल ही नहीं छोड़ा और वली

रोज़ा वग़ैरह का फ़िदया अज़ राहे तबर्रो देना चाहता है तो जायज़ व मूजिबे सवाब है।

मसला:- मय्यत की नमाज़ों के फ़िदया में क़ुरआन मजीद देना और समझना कि सब नमाज़ों का फ़िदया अदा हो गया, ग़लत है।

मसला:- वली बजाए फ़िदया देने अगर मय्यत की तरफ़ से रोज़ा रखे या नमाज़ पढ़े तो यह ना-काफ़ी है।

मसला:- मुर्दा काफ़िर के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, मुर्दा मुशरिक को बैकुन्ठ वाशी कहना- मुर्दा मुरतद को मरहूम या मग़फ़ूर कहना हराम व कुफ़्र है।

मसला:- काफ़िर की क़ब्र पर दफ़न व ज़ियारत के लिए खड़ा होना ममनूअ व हराम है।

وَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهٗ جَلَّ مَجْدُهٗ اَتَمَّ وَاَحْكَمْ وَصَلَّے اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰے خَیْرِ خَلْقِهٖ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ ٥

वल्लाहु तआला आलमु व इल्मुहू जल्ल मजदहू अतम्म व अहकम् व सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िही सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिंव व आलिही व असहाबिही अजमईन0

नाचीज़

मुहम्मद अब्दुल अज़ीज़ खां फ़तहपुरी